

कलेण्डर

दिनांक	कार्य का विवरण	उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी
9 अगस्त से 20 अगस्त, 2021	दावें प्राप्त करना। (दावा प्रपत्र ग्राम पंचायत स्तर, पंचायत समिति स्तर, उपखण्ड स्तर पर लिया जायेगा साथ ही ई-मित्र केन्द्र से या सीधे ऑनलाईन दावा भी प्रस्तुत किया जा सकेगा)	उपखण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी
16 अगस्त से 23 अगस्त, 2021	उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी तथा ऑन लाइन प्राप्त दावों को ग्राम पंचायत को प्रेषित करना। आवेदन पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दावा प्रपत्र की जांच कर राजस्व एवं वन विभाग से रिपोर्ट के लिए भेजा जाना।	ग्राम विकास अधिकारी / पटवारी / भू-अभिलेख निरीक्षक एवं वन विभाग के कार्मिक
23 अगस्त से 31 अगस्त, 2021	राजस्व एवं वन विभाग द्वारा आवेदनों पर रिपोर्ट कर पुनः ग्राम विकास अधिकारी को उपलब्ध कराना।	तहसीलदार / विकास अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी / पटवारी / भू-अभिलेख निरीक्षक एवं वन विभाग के कार्मिक
1 सितम्बर से 10 सितम्बर, 2021	ग्राम सभाएं आयोजित कर प्राप्त दावा प्रपत्रों पर उचित निर्णय करना।	ग्राम विकास अधिकारी एवं वनाधिकार समिति
13 सितम्बर से 17 सितम्बर, 2021	दावा प्रपत्रों को ग्राम पंचायत स्तर से उपखण्ड स्तरीय समिति को भिजवाना।	ग्राम विकास अधिकारी
20 सितम्बर से 24 सितम्बर, 2021	उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जाकर प्राप्त दावा प्रपत्रों पर निर्णय करना।	उपखण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी / वन विभाग के अधिकारीगण
27 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2021	उपखण्ड स्तर से दावों को जिला स्तरीय समिति को भिजवाया जाना।	उपखण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी
1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 2021	जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर प्राप्त प्रकरणों पर निर्णय करना।	जिला कलक्टर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् / उपायुक्त, टीएडी / उपवन संरक्षक
11 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, 2021	वन अधिकार पत्र (हक पत्र) तैयार कर जारी करना।	उपायुक्त, टीएडी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर, 2021	राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना, MIS Portal पर प्रविष्टि करना	उपायुक्त टीएडी, / उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार / विकास अधिकारी
1 नवम्बर से 9 नवम्बर, 2021	वन अधिकार पत्रों का समारोह पूर्वक वितरण करना।	जिला कलक्टर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / उपायुक्त टीएडी / उपखण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी